न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 33 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. रोहित पुत्र नानकराम जाति जोशी ब्राह्मण निवासी बाड़मेर हाल बडौदा गुजरात

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.रामेश्वर पुत्र नरोतमदास का.मु.
1/1कल्पना पत्नी रामेश्वर
1/2देवांग पुत्र रामेश्वर
1/3आशीष पुत्र रामेश्वर
2.रणछोड़ पुत्र नरोतमदास जाति जोशी निवासी बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर
3.तहसीलदार बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 451/2003 वअनवान रोहित बनाम रामेश्वर वगै. निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.03.2021 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री अमृतलाल जैन अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मुकेश जैन रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—22.04.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 चचेरे भाई है। वादी के पिता नानकराम एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता नरोतमदास सगे भाई थे जो मूल खातेदार जगरूप पुत्र देवदत के पुत्र थे। पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादीगण के पितामह जगरूप पुत्र देवदत की खातेदारी में वक्त भू प्रबंध ग्राम बाड़मेर में खसरा नम्बर 452 रकबा 09.05 बीघा, खसरा नम्बर 409 रकबा 47.18 बीघा समस्त रकबा 57.03 बीघा दर्ज हुआ। ग्राम विभाजन के कारण अब यह वादग्रस्त आराजी नवसृजित ग्राम लालाणियों की ढाणी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। आराजी के मूल खातेदार श्री जगरूप के जीवनकाल में उसके दोनो पुत्र नानकराम व नरोतमदास का देहान्त हो गया था और उनके बाद स्वयं श्री जगरूप का देहान्त इस्वी सन 1973 में हो गया। उक्त जगरूप के फौत होने के बाद उनके वारिसान के रूप में उनके पौत्र वादी तथा वादी का भाई ठाकेर भाई व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 हुए परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने स्वर्गीय जगरूप के वारिसान में वादी व वादी के भाई ठाकोर भाई के तथ्य छिपाकर वादग्रस्त खेतो का विरासत का नामान्तकरण संख्या 524 स्वयं दोनों के नाम खुलवाकर ग्राम पंचायत बाड़मेर आगोर से स्वीकृत करवाकर वादग्रस्त आराजी अपने नाम पर खातेदारी पर दर्ज करवा दी। अपीलाधीन आराजी में 1/2 हिस्सा वादी का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का है वादी आराजी के हिस्सा 1/2 को अपनी खातेदारी में घोषित करवाने उसका कब्जा प्राप्त करने उसमें काश्त करने व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने तथा वाद खातेदारी घोषणा खातेदारी वादी अपने 1/2 हिस्से का विधिवत बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है। इस आशय का दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अपीलाधीन निर्णय में वादीगण का वाद पत्र खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से भारी भूल की है। अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि मौजा बाड़मेर लालाणियों की ढाणी बाड़मेर में स्थित खसरा नम्बर 409, 452 की भूमि उभयपक्षकारान की पैतृक है दोनो पक्ष इस भूमि को पूर्वज जगरूपजी की पैतृक भूमि स्वीकार करते है। अपीलार्थी वादी के पूर्वज स्वर्गीय नानकराम एवं स्वर्गीय नरोतम दोनो सगे भाई है। तथा जगरूपजी के पुत्र है इस नाते दोनो भाई जगरूपजी की समस्त सम्पतियों के वारिस है। आराजी के मूल खातेदार श्री जगरूप के जीवनकाल में उसके दोनो पुत्र नानकराम का संवत 2017 व नरोतमदास का संवत 2026 देहान्त हो गया था और उनके बाद स्वयं श्री जगरूप का देहान्त संवत 2029 में हो गया। जगरूपजी के स्वर्गवास होने पर उनकी खातेदारी में दर्ज भूमि का नामान्तकरण जगरूपजी के पुत्र के पुत्रों के नाम भरे जाने का उल्लेख कर वादग्रस्त भूमि केवल नरोतम के पुत्रो प्रतिवादी उतरदातागण के नाम पारित किया गया। लेकिन इस नामान्तकरण में नानकराम के पुत्रो अपीलार्थी के नाम का नामान्तकरण नहीं भरा गया। उपरोक्त स्वीकृत निर्विवाद तथ्यों की परिस्थितियों में वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से की भूमि पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत जगरूपजी के पुत्र नानकराम के उतराधिकारी होने से वादीगण अपीलार्थीगण का आधा हिस्सा होना स्वतः प्रमाणित है। उतरदाता प्रतिवादी ने प्रदर्श 1 को पारिवारिक बंटवाडे का दस्तावेज होना बताया है प्रदर्श ए1 के अनुसार वादग्रस्त भूमि 500 रूपये लेकर नानकराम ने अपना आधा हिस्सा नरोतम के हक में या बंट में देना बताया गा है लेकिन 500 रूपये के प्रतिफल से जमीन दिये जाने के संव्यवहार को विधिमान्य स्थापित कराने के लिए कथित लिखित बंटवाड़े का पंजीकरण किया होना आवश्यक है जिसमें अभाव में लिखित बंटवाड़ा विधिक दृष्टि से शून्य है। प्रथम प्रदर्श ए1 साक्ष्य में पढे जाने योग्य नहीं है यदि उदार दृष्टिकोण से प्रदर्श ए 1 को पढ भी लिया जावे तो उसमें जगरूपजी के पैतृक खेतो में वादी के पूर्वज नानकराम द्वारा 500 रूपये लेकर सारे खेत नरोतमजी को दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है इसलिए प्रदर्श 1 के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर वादी अपीलार्थी के 1/2 हिस्से के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है। स्वीकृत रूप से वादग्रस्त सम्पति जगरूपजी की पैतृक है जगरूपजी की मौजूदगी में विना उनकी सहमति के उतरदाता प्रतिवादी के अनुसार किया गया

राजस्व अपील अधिकारी

कथित बंटवाडा भी विधि सम्मत नहीं माना जा सकता जिस पर जगरूपजी व नरोतमजी के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरचित विवाधक संख्या 01 वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी वादी के 1/2 हिस्से की घोषणा बाबत है। जिसको प्रमाणित करने का साक्ष्य भार वादी पर है वादी के इस अधिकार के खण्डन में उत्तरदाता के विशेष कथन पर विवाधक संख्या 05 जगरूपजी के जीवनकाल में सम्पूर्ण जायदाद का बंटवाडा कर वादग्रस्त खेत प्रतिवादी के पिता नरोतमदास के हिस्से में दिये जाने से वादी का वाद खारिज किये जाने के संबंध में है। इस विवाधक को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। इन दोनों विवाधकों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निष्कर्ष पूर्णतया पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रतिकूल है जो अपास्त किये जाने योग्य है। यह प्रकरण सिविल प्रकृति का है जिनके निर्णय अधि संभावनाओं के आधार पर किये जाने अपेक्षित है अधीनस्थ न्यायालय ने दीवानी प्रकरण निर्णित करने हेतु प्रतिपादित मान्य सिद्धांतों के विपरित पूर्व विचारित ढंग से निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी/वादीगण की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.03.2021 अपास्त किया जाकर वादी का वाद स्वीकार किया जावे तथा वाद में चाहे अनुतोष के अनुसार वादीगण/ अपीलार्थी के पक्ष में डिक्री जारी फरमाई जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:—

RRT 2016-17(Supp.) Page 540
DNJ(SC) 2010 Page 208
DNJ 2013(3) Page 997
RRD 2003 Page 509
RRD 1996 Page 381
RRT 2003(1) Page 366
RRD 2000 Page 45
DNJ 2005(1)(Raj.) Page 366
RRT 2002(2) Page 1252
RRT 2014-15(Supp.) Page 303
RRD 2016 Page 96
RRD 1982 Page 158
RRT 2016-17(Supp.) Page 517
RRT 2002(1) Page 677
AIR 1976 (SC) Page 807
DNJ(SC) 2013 (SC) Page 498

वकील रेस्पोडेंट अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि सरहद मौजा बाडमेर वर्तमान राजस्व गांव लालाणियों की ढाणी में जगरूपजी के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 452, 409 अवस्थित रहा, जिसमें वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें, क्योंकि जगरूपजी के दो पुत्र नरोतम व नानकराम थे, इसलिये उतराधिकारी के आधार पर नानकराम का पुत्र व

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

जगरूपराम का पौत्र होने के नाते 1/2 हिस्से का खातेदार टीनेन्ट है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र का जबावदावा रेस्पोडेंट की आरे से प्रस्तुत किया, उसमें स्पष्ट रूप से रेस्पोडेंट की ओर से अभिवचन किया कि वादी के पिता नानकराम ने अपना बंटवाडा चाहा, जिस पर जगरूप ने संवत 2008 में ही इनके हिस्से की 1/2 सम्पति का विभाजन कर दिया। जगरूपजी द्वारा अपने जीवनकाल में किये गये पारिवारिक बंटवाडा अनुसार वादी के पिता को बाडमेर में स्थायी पैतृक सम्पति का मकान दिया गया, घरेलू हिसाब में वादी के पिता के हिस्से में रोकड़ 500 रूपये भी आये जो तत्समय में ही वादी के पिता ने प्राप्त किये और स्थायी रूप से शहर बाड़मेर छोड़कर गुजरात राज्य के बड़ोदा शहर में जाकर बस गये, इस बाबत लिखित भी तत्समय में उभयपक्षों के मध्य निष्पादित हुआ, जो न्यायालय में वक्त साक्ष्य प्रदर्श डी –1 के तौर पर पेश हुआ। यह स्वीकृत तथ्य है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संस्वीकृति के विपरित अन्य कोई कथन नहीं कर सकता, वादी अपीलांट के पिता ने अपने जीवनकाल में उक्त सम्पति के संबंध में कोई हक अधिकार बावत क्लेम नहीं किया, विधि अनुसार पारिवारिक बंटवाडा का पंजीयन होना आवश्यक नहीं है। उक्त संपति पर वादी या उसके पिता कोई कब्जा नहीं रहा और न ही है। यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी अपने पिता के जीवनकाल से ही राजस्थान राज्य का मूल निवासी नहीं रहा, बल्कि वादी का जन्म भी गुजरात राज्य के बडादरा शहर में हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के वाद को खारिज कर डिक्री जारी की है, का मूल आधार पारिवारिक बंटवाडा को माना है, जब तक पारिवारिक बंटवाडा जो वर्तमान वादी/अपील के लिये बाधक है, को सक्षम फोरम में प्रश्नगत कर न्याय निर्णित के जरिये निरस्त नहीं करवा दिया जाता है तब तक वर्तमान वाद चलने योग्य नहीं है, क्योंकि अपने हक हित अधिकार उक्त भूमि के बदलने में वादी के पिता ने अन्य सम्पति के रूप में प्राप्त किये जा चुके है और वादी ने जानबुझकर आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार भी नहीं बनाया है जबकि वादी/अपीलांट अपनी जिरह में यह स्वीकार करता है कि जगरूपजी के 05 लड़किया भी है, यदि जगरूपजी की सम्पति होना वादी/अपीलांट मानता है जो उसके द्वारा जगरूपजी की लड़कियां को पक्षकार क्यों नहीं बनाया, इस संबंध में कोई कथन दावे में या जबाव बूल जबाव के माध्यम में प्रस्तुत नहीं किया, इसके अतिरिक्त वादी की एक बहन भी है, उक्त तथ्यों को वादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान स्वीकार किया है, उसके उपरान्त भी उसके द्वारा उसे आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाया, दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 01 नियम 09 में यह आज्ञापक रूप से प्रावधित है कि आवश्यक पक्षकारान के अभाव में कार्यवाही प्रारम्भ से ही शून्य होती है। वादी का हक हित व अधिकार यदि होता तो जगरूपजी का फौतगी म्यूटेशन

राजस्व अपील अधिकारी

सन 1973 में पारित हुआ से 30 वर्षों की अवधि तक चुपचाप क्यों बैठा रहा, अपने अधिकार के बारे में तीस वर्षों की अवधि तक इस बाबत कानूनी चाराजोही क्यों नहीं की, के बारे में ऐसा मात्र कथन भी नहीं किया। वादी अपीलांट ने भूमि की कीमतें बढने की वजह से उक्त भूमि के बदले अन्य सम्पति(मकान) प्राप्त कर उसे बेचान कर बेचान की रकम हडप करने के बाद वर्तमान वाद पेश किया है, मकान(वादी की माता) द्वारा बेचान किया है। तब वादी स्वयं ने माता के अंगुष्ठ निशान की पहचान लिखी है। जिसकी दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श ए 2 है। वादी स्वयं के बयान PW-1 से साबित होता है कि वाद में जगरूपजी का जो वंश वृक्ष दर्शाया है वह पूर्ण रूप से सही नहीं है। वादी/अपीलांट स्वच्छ हाथों से माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील बेबुनियाद होने से सव्यय खारिज फरमाई जावे। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

DNJ 2017(SC) Page 145
RLW 1977 Page 326

सर्वप्रथम अपीलांट अधिवक्ता द्वारा दिनांक 22.03.2022 को पेश प्रार्थना–पत्र वास्ते तलब करने मूल दस्तावेज प्रदर्श–1 बंटवाडा पर निर्णय करना उचित होगा। अपीलांट अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि मौखिक बहस के दौरान उतरदाता की ओर से नानकदास द्वारा लिखित बंटवाडा पर विशेष जोर दिया गया तथा उस दस्तावेज में लिखे तथ्यों से भिन्न तथ्य होने प्रकट किया पत्रावली पर मूल बंटवाडा की नकल उपलब्ध है। बंटवाडा के विवरण सत्य होने के संबंध में समुचित तर्क प्रस्तुत करने की दृष्टि से मूल बंटवाड़ा उसे प्रदर्शित करवाने के पश्चात प्रतिवादी उतरदाता ने वापस प्राप्त किया है उसको पत्रावली में तलब कर उसका अवलोकन करना आवश्यक है ताकि उसमें अंकित कथन किया है उसका पत्रावली में अनुवाद की प्रति प्रदर्शित आवश्य करवाई है लेकिन उस पर मुल बंटवाड़े की प्रति होने का प्रमाणिकरण नहीं है तथा न ही हिन्दी अनुवाद करने वाले का शपथ–पत्र संलग्न है। ऐसी स्थिति में मूल बंटवाडा दस्तावेज तलब किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः मूल बंटवाडा बहस से पूर्व पत्रावली पर अवलोकन हेतु उतरदाता से प्रस्तुत करवाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता द्वारा दिनांक 22.03.2022 को पेश प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रदर्श 01 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है। दस्तावेजात पर प्रदर्श अपीलांट/वादी की उपस्थिति में लगाये गये। अपीलांट को प्रदर्श लगाने पर आपति थी तो वे अधीनस्थ न्यायालय में

राजस्व अपील अधिकारी

पेश करते। अपील की स्टेज पर पत्रावली अंतिम बहस में विचाराधीन है उस समय मूल दस्तोवजात मंगवाने हेतु आवेदन पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा करना चाहते है। अतः आवेदन खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की अपीलांट अधिवक्ता द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.03.2022 पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की अंतिम बहस लिखित में पेश हो चुकी है। पत्रावली पर अंतिम बहस सुनी गई उस समय अपीलांट अधिवक्ता द्वारा आपति करते हुए प्रदर्श 01 को न्यायालय में मूल पेश करने का निवेदन किया गया, जबकि प्रदर्श 01 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है जिसका अवलोकन अपीलांट अधिवक्ता कर सकते है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा आपति करते हुए प्रदर्श 01 पर संदेह जाहिर किया जबकि प्रदर्श की कार्यवाही उभयपक्ष की उपस्थिति में हुई है। अपीलांट की मंशा प्रकरण को लंबा करने की है इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है।

धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्ष के अधिवक्तओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.03.2021 को पारित की गई थी जिसका ज्ञान होने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.03.2021 को होने पर प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन माहमारी के कारण राजस्थान में लॉकडाउन लगने की वजह से अपीलकर्ता द्वारा समय पर अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर वहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कोरोना माहमारी को ध्यान में रखते हुए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय के सक्षम पेश वाद में अपीलांट/वादी ने अपने बयान एवं जिरह में इस बात को स्वीकार किया कि स्वर्गीय जगरूप जी के दो पुत्र व पांच पुत्रियां थी। उन पांच

राजस्व अपील अधिकारी

पुत्रियों में किसी का भी नाम उसे ज्ञात नहीं है। मेरे दादा के दो खेत खसरा संख्या 409 व 452 है। पड़ौस का ध्यान नहीं है। प्रदर्श–डी1(पारिवारिक बंटवाडा) की राईटिंग मेरे पिता की हो तो में नही जानता क्यो कि उस समय मेरी उम्र 03–04 वर्ष की थी। मेरे दादा के साथ मेरे चाचा नरोतम जी रहते थे। मेरे दादा ने मेरे पिता को जो मकान दिया था, उस मकान का बेचान मेरी माता ने कर दिया। मेरे गवाह अनिल व रमेश मेरे रिश्वतेदार है। लेकिन अपीलांट/वादी द्वारा पेश वाद में जगरूपजी की पुत्रीयों को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया जिसे स्वयं अपने कथनों में स्वीकार करता है। पीडब्लू–2 ने अपने बयान एवं जिरह में बताया कि वादी की माता ने अपने हिस्से में आये मकान का बेचान कर दिया। अगर जगरूप जी अपने जीवनकाल में अपनी समस्त जायदाद का बंटवाडा कर दिया हो तो गवाह को ध्यान नहीं। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि रहवासी मकान भी पैतृक था इसके विपरित यह मकान वादी/अपीलांट के हिस्से में रखने का कारण पारिवारिक बंटवाडा ही रहा होगा। प्रतिवादी डी डब्लू–1 रामेश्वर ने अपने साक्ष्य शपथ–पत्र में बताया कि प्रतिवादी के दादा जगरूपजी के पुत्र नानकराम व नरोतमदास थे। जगरूपजी ने अपने समस्त सम्पति खेत, मकान, गहने व घरेलु सामान का अपने जीवनकाल में बंटवाडा कर सम्पति खेत, मकान, गहने व घरेलु सामान का अपने जीवनकाल में बंटवाडा कर सम्पति पुत्रों को संवत 2008 में ही हस्तान्तरित कर दी थी यह पारिवारिक बंटवाड़ा जगरूपजी के बड़े पुत्र नानकदास जी, जो वादी के पिता थे, के द्वारा लिखा गया, जो पदर्श ए–1 है। प्रतिवादी ने अपने साक्ष्य में बंटवाडा नामा डी–1 के अलावा मकान बेचने के दस्तोवज की प्रति ए–2 पेश किया। जिरह में बयान किया कि जगरूपजी ने परिवार की सम्पति का बंटवाडा बही में लिखा था। उस समय जगरूपजी के पुत्र उनके साथ थे। बही घर पर जगरूपजी के पास थी। बंटवाड़े की लिखत गवाहन के हस्ताक्षर है। प्रतिवादी के पक्ष में पेश हुए गवाह डी डब्लू–2 छगनलाल उम्र 75 वर्ष, डी डब्लू–3 बंशीलाल उम्र 82 वर्ष, डी डब्लू–4 विष्णुदत उम्र 84 वर्ष, डी डब्लू–5 गिरीराज उम्र 65 वर्ष, डी डब्लू–6 राणुलाल उम्र 73 वर्ष, डी डब्लू–7 भानाराम उम्र 86 वर्ष के बयान एक–दुसरे के समान ही है तथा सभी गवाह इस बात को स्वीकार करते है कि स्वर्गीय जगरूप ने संवत 2008 में अपने पारिवारिक समस्त प्रकार की सम्पति का बंटवाडा अपने दोनों पुत्रों के बीच कर पारिवारिक बंटवाडा लिखा, जिस पर उपस्थित लोगों ने साक्षी डाली। बंटवाड़े का कोई गवाह जीवित नहीं है। गवाह डीडब्लू–6 राणुलाल ने बंटवाडा प्रदर्श डी–1 पर अपने पिता स्वर्गीय भाणजी के साक्षी में हस्ताक्षर ए से वी होने की पुष्टि की। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि संवत 2008 में पारिवारिक बंटवाड़ा हुआ। वादी/अपीलांट का अपीलाधीन आराजी में हक

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

हित व अधिकार यदि होता तो जगरूपजी का फौतगी म्यूटेशन पारित होने की सुदीर्घ अवधि तक चुपचाप क्यों बैठा रहा, अपने अधिकार के बारे में इतनी लंबी अवधि तक इस बाबत कानूनी चाराजोही क्यों नहीं की, के बारे में लैस मात्र कथन भी नहीं किया। वादी/अपीलांट ने भूमि की कीमतें बढने की वजह से पारिवारिक बंटवाड़ा में प्राप्त अन्य सम्पति(मकान) का बेचान कर बेचान की रकम हड़प करने के बाद वर्तमान वाद पेश किया है, मकान(वादी की माता) द्वारा बेचान किया है। यह सब तथ्य ऐसे है जिससे यह भली प्रकार साबित होता है कि स्वर्गीय जगरूप ने अपने जीवनकाल में संवत 2008 में अपनी समस्त सम्पति का बंटवाडा कर वादी के पिता को मकान व अन्य तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के पिता को खेत व अन्य दे दिये। वादी के पिता ने बंटवाडा लिखित स्वयं ने लिखी। ऐसी अवस्था में वादग्रस्त आराजी में वादी के कोई अधिकार पैदा नहीं होते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट के दावे एवं प्रतिवादीगण के जवाव दावे के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर निर्णय तनकीवार पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। हमारी सुविचारित राय में मातहत अदालत के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 451/2003 बअनवान रोहित बनाम रामेश्वर वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.03.2021 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 22.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर